भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2303

25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध

2303. श्री पि. भट्टाचार्य:

श्री नंद कुमार साय:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रतिबंध के लिए समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा सरकार के पास आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख): जी, हां । सरकार ने 5 मार्च, 2012 को निम्नलिखित शर्तों के साथ कपास के निर्यात पर प्रतिबंध अधिसूचित किया है:-

(i) कपास के निर्यात पर अगले आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(ii) कपास के निर्यात पर पारगमन व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

(iii) पहले ही जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह था कि कपास के निर्यात पहले ही 120 लाख गांठों के लिए निर्यात पंजीकरण के साथ सबसे अधिक 92 लाख गांठों से अधिक हो चुके हैं, इसलिए यह संभावित जोखिम था कि भारत को ऊंचे मूल्यों पर कपास का आयात करना पड़ सकता है ।

(ग): जी, हां । कपास के निर्यात पर प्रतिबंध को वापस लेने के लिए सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) और (ड.): सरकार ने 12 मार्च, 2012 को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को वापस ले लिया है और कपास को इस शर्त के साथ खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा है कि सभी आर सी संवीक्षा और पुनर्वैधीकरण करने हेतु डीजीएफटी को प्रस्तुत करनी होंगी । आर सी का पुनर्वैधीकरण होने के बाद ही निर्यात किए जा सकेंगे । आर सी जारी करना, अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है ।